पालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

व विविध प्रकरण सं. :– 15/2022

प्रतिवादीगण
म — पप्पूराम वगैरा

मुकदमा–राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

क्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहव हुक्म में उ
2	प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत् मूलवाद मे शीघ्र सुनवाई का प्रार्थी के राजीनामा हो जाने के कारण प्रस्तुत किया गया। जिस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर पत्रावली आज तलब की गई। प्रार्थी द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी. सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त खसरान् की भूमि के बाबत् प्रार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यो के मध्य वर्तमान मे राजीनामा हो चुका है जिस कारण प्रार्थी अब यह प्रकरण इस स्तर पर आगे जारी रखना नही चाहता है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रकरण जरिये विड्रो निस्तारित किया जावे। सुना गया। प्रार्थी द्वारा अपने मूल वाद मे भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मूल वाद विड्रो कर लिय गया है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र भी जरिये विड्रो खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] 4/11/2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	—

Scanned by CamScanner